

पत्रांक: एम०-1-018/2019- 5400
प्रेषक,

पटना, दिनांक 31 मई, 2019 ई०।

प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

श्री प्रफुल्ल अवरस्थी,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001.

विषय :- बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन, 2019 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 74 के अन्तर्गत बिहार राजपत्र में प्रकाशित गजट की प्रति का प्रेषण।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 100/ECI/LET/FUNC/BR-LC-MLA/5-6/BIEN/2019 दिनांक 14.05.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 74 के अन्तर्गत अधिसूचना बिहार राजपत्र के दिनांक 31.05.2019 के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया गया है। राजपत्र की 3 (तीन) प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये।

अनु० :- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक:- एम०-1-018/2019- 5400

प्रतिलिपि :- श्री वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथा उपर्युक्त।

(प्रवीण कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
पटना, दिनांक 31 मई, 2019 ई०।

ज्ञापांक:- एम०-1-018/2019- 5400

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् पटना/श्री राजीव कुमार, उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथा उपर्युक्त।

(प्रवीण कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
पटना, दिनांक 31 मई, 2019 ई०।

ज्ञापांक:- एम०-1-018/2019- 5400

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को राजपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथा उपर्युक्त।

(प्रवीण कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
पटना, दिनांक 31 मई, 2019 ई०।

(प्रवीण कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1941 (श10)
(सं0 पटना 644) पटना, शुक्रवार, 31 मई 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

31 मई 2019

सं0 एम०-1-018/2019-49—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-74 के उपबंधों के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन, 2019 के अवसर पर बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के नाम हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार गुप्ता,

संयुक्त सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

31 मई 2019

सं० एम०-1-018/2019-48—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-151, धारा 39 की उप-धारा (1) और 56 के अधीन निर्गत अधिसूचना के अनुसरण में बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन एवं डॉ. सूरज नंदन प्रसाद की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप बिहार विधान परिषद् के 02 (दो) रिक्त स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन हो चुका है।

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा-74 के अनुसरण में उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों को अधिसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	संजय कुमार झा	जनता दल (यूनाइटेड)	06.05.2024
2	राधा मोहन शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	06.05.2020

आदेश से और राज्यपाल के नाम से,
प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

Election Department

NOTIFICATION

The 31st May 2019

No. M-1-018/2019-48—Whereas election has been held in pursuance of notification issued under section 151, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) for the purpose of filling 02 (Two) seats vacant due to death of Syed Khurshid Mohammad Mohsin and Dr. Suraj Nandan Prasad elected by the elected members of the Legislative Assembly of State of Bihar for Bihar Legislative Council.

Now, therefore, in pursuance of section 74 of the said Act, the names of members, elected from above Constituency for Legislative Council of State of Bihar is hereby notified:-

Sl. No.	Name of Elected Member	Party Affiliation (if any)	Date of Retirement
1	Sanjay Kumar Jha	Janata Dal (United)	06.05.2024
2	Radha Mohan Sharma	Bharatiya Janata Party	06.05.2020

By order and in the name of the Governor,
PRAVEEN KUMAR GUPTA,
Joint Secretary-cum-
Joint Chief Electoral Officer, Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 644-571+50 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>